

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

मांगीलाल बनाम जयप्रकाश

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 42/2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|------------|---|
| 07/04/24 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मांगीलाल - रामलाल</u> पिता श्री <u>मोती जी इहीर</u> निवासी <u>पुरोहितों का सावंता</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पुरोहितों का सावंता (पण्ड. कुम्हारिया)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>350</u> <u>0.3600</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.3600</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पुरोहितों का सावंता (पण्ड. कुम्हारिया तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>350</u> <u>रकबा 0.3600</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा..... <u>0.3600</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>700</u> <u>रुपये</u> अक्षरे <u>सात सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>(बीनू देवल)</u> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |